172

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र. ..../ निग. 2339-I-16 /......................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार -
(1) श्रीमती एलोबाई पति स्व.श्री पूरन सिंह गौड़
(2) प्रहलाद सिंह गौंड़ पिता स्व.श्री पूरन सिंह गौंड़
(3) पार्वतीबाई गौंड़ पिता स्व.श्री पूरन सिंह गौंड़
सभी निवासी ग्राम जुझारी तहसील कुण्डम जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक -
1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री प्रभाजीत सिंह पिता श्री सुरजीत सिंह निवासी 1148/2, प्रेमनगर मदन महल तहसील व जिला जबलपुर ।

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P. Regd. No. 7629 GOVT. OF INDIA

11 JUL 2016

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **67**/अ-21/2014-15 में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 20/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी (1) श्रीमती एलोबाई गौंड़ (2) प्रहलाद गौंड़ (3) पार्वतीबाई गौंड़ निवासी ग्राम जुझारी तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **जुझारी** प.ह. नं. 10(जुझारी) रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 96 रकवा 1.970 हे. में से 0.40 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री प्रभाजीत सिंह पिता श्री सुरजीत सिंह निवासी 1148/2, प्रेमनगर मदनमहल तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25/04/2015 (Annexure-2) म.प्र. **भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार कुण्डम द्वारा प्रकरण क्रमांक **05**/अ-21/14-15 में प्रतिवेदन दि. 22/12/2015 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 6.63 हेक्टेयर भूमि शामिलाती खाते में शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

पार्वती बाई

प्रहलाद सिंह

निशानी एलोबाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2339–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.7.16.	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 20–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम जुझारी प.ह.नं. 10 (जुझारी) रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 96 रकबा 1.970 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री प्रभजीत सिंह को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर	

नि.प्र. 2339-अ/16 (नसरुल्लागंज)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुनः इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वे वर्तमान गाइड लाइन वर्ष 2016-17 के आधार पर भूमि के मूल्य की गणना कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । उनका यह भी कहना है कि जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के अनुसार भूमि की गणना कर प्रतिवेदन देने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं जबकि आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित होकर मोखिक रूप से यह निवेदन किया गया था कि वे वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर ही भूमि का विक्रय करेंगे । क्रेताओं द्वारा भी इसी प्रकार का कथन किया गया था किंतु इस ओर कलेक्टर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और पुनः प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्रय करने के उपरांत आई है । आवेदित भूमि कम असिंचित एवं एक फसली है । आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2339–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पास 6.63 हैक्टर भूमि शामलाती खाते में शेष बचती है । जिलाध्यक्ष द्वारा 2016–17 की गाइड लाइन के आधार पर गणना करने के निर्देश दिए गए हैं । चूंकि आवेदक द्वारा अपने तर्कों में यह बात कही गई है कि वे वर्तमान गाइड लाइन 2016–17 के अनुसार या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही भूमि का विक्रय करेंगे और केतागण वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार मूल्य देने को सहमत हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम जुझारी प.ह.नं. 10 (जुझारी) रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 96 रकबा 1.970 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	

निगरानी - 2339-दो/16 (हस्तलिखित)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	